

# कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक- 3535/खनिज/पत्थर/ई-निविदा/2025

दिनांक: 10/12/2025

## ई-निविदा आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद मीरजापुर की तहसील चुनार अन्तर्गत बाणसागर नहर की खुदाई से निकले गिट्टी/बोल्डर जो नहर के दायें एवं बायें दोनों तरफ भण्डारित है एवं तहसील चुनार अन्तर्गत ग्राम धौहा इस्पात यूनिट पर 0 सक्तेशगढ़ में इस्पात फैक्ट्री उद्योग के विस्तारीकरण में फाउन्डेशन के कार्य में प्राप्त भण्डारित पत्थर उपखनिज सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर) को निस्तारित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या 2595/86-2018-12 (सामान्य)/2018 दिनांक 03/12/2018 में दिये गये निर्देशानुसार राजस्व/जनहित में ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	तहसील	स्थल का विवरण	भण्डारित क्षेत्र का जियो-कोऑर्डिनेट	उपखनिज का नाम	निर्माण कार्य से निकले पत्थर की मात्रा (घन मी० में)	पत्थरों का आरक्षित मूल्य (घन मी X रायल्टी दर रू० 110 प्रति घन मी०)	निविदा की न्यूनतम राशि (अर्नेस्ट मनी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	चुनार	CWR01 Parasiya Vill. Dhauhan	25°03'18.64"N 82°52'48.14"E के पास	सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर)	300	33000	8250
2	चुनार	Jangal Mahaal (Barahi) ESR10	24°59'34.64"N 82°56'31.94"E के पास	सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर)	400	44000	11000
3	चुनार	ग्राम धौहा इस्पात यूनिट पर 0 सक्तेशगढ़ में इस्पात फैक्ट्री उद्योग	25°3'6.89"N 82°53'25.78"E के पास	सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर)	8428	927080	92708
4	चुनार	ग्राम धौहा इस्पात यूनिट पर 0 सक्तेशगढ़ में इस्पात फैक्ट्री उद्योग	25°3'6.70"N 82°53'26.70"E के पास	सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर)	2940	323400	32340

उक्त विवरण के अनुसार भण्डारित उपखनिज सैण्डस्टोन गिट्टी/बोल्डर को 02 माह की अवधि में निस्तारित किये जाने हेतु ई-निविदा दिनांक 22/12/2025 से दिनांक 26/12/2025 तक समय पूर्वान्ह 10.00 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे तक वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> पर आमंत्रित की जाती है, जिसे दिनांक 27/12/2025 को दोपहर 02:00 बजे गठित समिति के समक्ष क्वैरी कार्यालय, मीरजापुर में खोली जायेगी।

### शर्तें:-

1. भण्डारित उपखनिज को ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से निर्धारित अवधि में हटाने के लिए स्वीकृत किये जायेंगे। ई-निविदा स्वीकृति की अवधि अथवा खनिज की मात्रा, जो पहले समाप्त हो, तक के लिए वैध मानी जायेगी।

2. ई-निविदा में भाग लेने से पूर्व प्री-बिड अर्नेस्टमनी, जो ऊपरलिखित कॉलम-8 में अंकित है, को जमा करना अनिवार्य होगा। निविदादाता द्वारा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अर्नेस्ट मनी की धनराशि, जो जिलाधिकारी, मीरजापुर के पक्ष में देय होगी, की स्कैन प्रति तकनीकी बिड के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा तथा बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति ई-निविदा खोले जाने से पूर्व दिनांक / /2025 को मध्याह्न 12.00 बजे तक क्वैरी कार्यालय, खनिज विभाग, मीरजापुर में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। जिस निविदादाता द्वारा मूल बैंक ड्राफ्ट निर्धारित अवधि के अन्दर खनिज कार्यालय, मीरजापुर में उपलब्ध नहीं करायी जाती है, तो उसके द्वारा दी गयी ई-निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा तथा फाइनैसियल बिड नहीं खोला जायेगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे बिड आई0डी0, बिडर/फर्म का नाम एवं बिडर का मोबाइल नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा।
3. निविदादाता द्वारा उपखनिज के लिए दी जाने वाली बोली की धनराशि, जो ऊपरलिखित कॉलम-7 में अंकित है, से कम बिड/बोली स्वीकार नहीं की जायेगी।
4. भण्डारित उपखनिज के लिए दी जाने वाली सर्वोच्च बोली के निविदाकर्ता का चयन उस क्षेत्र में भण्डारित उपखनिज की निकासी के लिए किया जायेगा।
5. ई-निविदा ऑनलाईन उ0प्र0 शासन के eProcurement Portal <https://etender.up.nic.in> के माध्यम से ही स्वीकार किया जायेगा। बिड डोक्यूमेंट और अन्य विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में खनिज कार्यालय, मीरजापुर से प्राप्त की जा सकती है।
6. इच्छुक आवेदको के लिए ऑनलाइन ई-निविदा में प्रतिभाग करने हेतु क्लास-II साइनिंग टाइप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) होना आवश्यक है, जो किसी भी सर्टिफाइंग एजेन्सी से प्राप्त किया जा सकता है।
7. इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी(आवेदक) को <https://etender.up.nic.in> पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई-निविदा <https://etender.up.nic.in> के पोर्टल पर उपलब्ध ऑन लाइन फार्म भरना होगा, निविदादाता अपने लिए स्वयं जनित यूजर आई0डी0 व पासवर्ड बनायेंगे।
8. ई-निविदा में प्रतिभाग करने हेतु जिलाधिकारी, मीरजापुर के पक्ष में विभागीय लेखाशीर्षक "0853" अथवा आनलाईन राजकोष में जमा चालान रू0 15,000 (पन्द्रह हजार रुपये मात्र) का चालान जमा करना होगा, जो अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा तथा जमा चालान को स्कैन कर ई-निविदा की तकनीकी बिड के साथ अपलोड करने के साथ-साथ चालान की मूल प्रति ई-निविदा खोले जाने से पूर्व क्वैरी कार्यालय, खनिज विभाग, मीरजापुर में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
9. निविदादाता द्वारा ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करते समय <https://etender.up.nic.in> पोर्टल पर स्वयं की आई0डी0 लॉगिन कर तकनीकी बिड के साथ स्वप्रमाणित निम्न अभिलेख/प्रमाण पत्र स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा:-
  - क. आवेदक का चरित्र, हैसियत, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फर्म के मामले में प्रोपराइटर/पार्टनर का चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन की प्रति एवं कम्पनी के मामले में निदेशक का DIN व कम्पनी का पैन कार्ड एवं जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन की प्रति।

- ख. सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया खनन बकाया न होने का प्रमाण पत्र अथवा जहाँ आवेदक राज्य के भीतर कोई खनिज परिहार धारित नहीं करता है, वहाँ इस आशय का शपथ पत्र।
- ग. आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक वाद लम्बित नहीं है, से सम्बन्धित शपथ पत्र।
10. ई-निविदा में निम्नलिखित व्यक्ति/फर्म/कम्पनी भाग नहीं ले सकते हैं:-
- क. जो भारतीय राष्ट्रिक नहीं है,
- ख. जिसके विरुद्ध खनिज देय बकाया है,
- ग. जिसके विरुद्ध कोई आपराधिक वाद लम्बित हो।
- घ. जिसने अपने आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत न की हो
- च. जिसका नाम काली सूची में दर्ज हो,
- छ. फर्म/कम्पनी के मामले में जिसने पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया हो।

11. सर्वोच्च/सफल निविदादाता को छोड़कर शेष निविदादाताओं द्वारा जमा अर्नेस्टमनी को निविदा समाप्ति के पश्चात् वापस कर दिया जायेगा।

12. ई-निविदा में प्राप्त उच्चतम बोली के अनुसार देय धनराशि अग्रिम रूप से अर्नेस्ट मनी को समायोजित करते हुए शेष धनराशि 03 दिन के अन्दर जमा कराना अनिवार्य होगा। समस्त धनराशि एवं नियमानुसार देय 10 प्रतिशत डी0एम0एफ0 व 02 प्रतिशत टी0सी0एस0 जमा करने के उपरान्त कार्यादेश जारी किया जायेगा।

13. सर्वोच्च/सफल निविदादाता, यदि स्वीकृति आदेश में इंगित धनराशि को निर्धारित समयावधि में जमा करने में असफल होता है तो उसके द्वारा जमा की गयी अर्नेस्टमनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी और इस सम्बन्ध में कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

#### अन्य शर्तें:-

1. ई-निविदा में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में भण्डारित स्थल पर उपखनिज की उपलब्धता एवं पहुंच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो लें। ई-निविदा में भाग लेने के पश्चात इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. निविदादाता उपखनिज का परिवहन वैध परिवहन प्रपत्र के माध्यम से करेगा। शर्तों का अनुपालन न करने की दशा में नियमानुसार शारित का भागी होगा।
3. निविदादाता ऐसी रीति से खनिज का परिवहन करेगा, जिसे कोई सड़क, सार्वजनिक मार्ग, भवन, भू-गृहादि, सार्वजनिक भू-स्थल या सार्वजनिक सम्पत्ति पर बाधा न पड़े, न उसे क्षति पहुंचे।
4. निविदादाता परिवहन किये गये खनिज का लेखा-जोखा रखेगा और एतदर्थ प्रतिनियुक्त प्राधिकारी को ऐसे लेखों को निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगा।
5. निविदादाता को समय-समय पर शासन/खनन निदेशालय/जिला प्रशासन द्वारा जो भी निर्देश/आदेश दिये जायेंगे, उसका अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
6. ई-निविदा बिना सूचना/कारण बताये, स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार जिलाधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

7. यदि कोई शुद्धि पत्र (Corrigendum) बाद में प्रकाशित होता है तो इसकी पूर्ण जानकारी केवल ई-टेंडरिंग पोर्टल <https://etender.up.nic.in> पर ही सार्वजनिक की जायेगी।
8. मा0 न्यायालयो तथा मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(पवन कुमार मंगवार)  
जिलाधिकारी,  
मीरजापुर।

पत्रांक व तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय (उ0प्र0), खनिज भवन, लखनऊ।
- 3- समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद-मीरजापुर को प्रचार-प्रसार हेतु।
- 4- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मीरजापुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति [www.mirzapur.nic.in](http://www.mirzapur.nic.in) की वेबसाईट पर व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु अपलोड कराये।
- 5- समस्त तहसीलदार, जनपद-मीरजापुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त सार्वजनिक नीलामी एवं निविदा की घोषणा/सूचना को अपनी तहसील के नोटिस बोर्ड पर प्रचारार्थ चस्पा कराये तथा अपने-अपने क्षेत्रों में मुनादी द्वारा उक्त सार्वजनिक नीलामी एवं निविदा का व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
- 6- मे0 महामाया इस्पात एलायज प्रा0लि0 बजरिये निदेशक कैलाश नाथ अग्रवाल पुत्र श्री रघुनन्दन निवासी पुराना दुर्गा जी मन्दिर रामनगर जिला वाराणसी हा0 मु0 धौहा यूनिट परगना सक्तेशगढ़ तहसील चुनार जिला मीरजापुर।
- 7- नाजिर, कलेक्ट्रेट-मीरजापुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0),  
मीरजापुर।